फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गेहरीलाल | **विपक्षी : श्री प्रभु**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 149/22**

जीसीएमएस : 2022/385

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वाद वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 42 पर दर्ज आराजी नम्बर 655, 656 किता 2 कुल रकबा 0.6232 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस गिरधारी के नाम स्वतन्त्र रूप से एवं खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजी नम्बर 667 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस गिरधारी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को क्रय करने से मूल वाद बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 से 4 के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 से 4 खुर्द बुर्द व निर्माण करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 से 4 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 से 4 वादग्रस्त भूमि में [illegible] कर लेते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल [illegible] विपक्षी संख्या 1 से 4 को ही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested

मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को साथ कठुराघात होगा। इसलिए उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 42 पर दर्ज आराजी नम्बर 655, 656 किता 2 कुल रकबा 0.6232 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 95 पर दर्ज आराजी नम्बर 667 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में खातेदार गिरधारी के नाम दर्ज 1/5 हिस्से की उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(**रमेश सीरवी पुनाडिया** R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:32 IST
Reason: SelfAttested